

म.प्र. राज्य एड्स नियंत्रण समिति, भोपाल (म.प्र.)

द्वितीय तल, तिलहन संघ भवन, 1 अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) पिन- 462011, दूरभाष नं. 0755-2570424, फ़ैक्स नं. 0755-2556619

क्र./एफ-27-1206/एड्स/उपार्जन/2017/2018

भोपाल, दिनांक 01.8.17

निविदा-प्रपत्र

(इस कार्यालय के लिए कम्प्यूटर कंज्यूमेबिल्स क्रय हेतु)

कार्यालयीन उपयोग हेतु

आवेदन की कीमत रूपये 50/- (रूपये पचास मात्र)	कार्यालय की पदमुद्रा:
--	-----------------------

निविदा के उपयोग हेतु

अ.	फर्म का विवरण :-		
1-	फर्म का नाम	:	
2-	फर्म का पूर्ण पता	: शहर..... जिला..... राज्य..... पिन.....
3-	फर्म का दूरभाष, मोबाईल नं. एवं ईमेल	:	दूरभाष नं..... मो. नं. मोबाईल नं.....
4-	फर्म का ईमेल आईडी	:	
5-	फर्म का पंजीयन क्रमांक	:	
6-	PAN No.	:	
7-	GST No.	:	
ब.	बैंक खाते की जानकारी	:	
1-	खाताधारक का नाम	:	
2-	बैंक का नाम	:	
3-	शाखा का नाम	:	
4-	आईएफएस कोड	:	
5-	खाता क्र.	:	

वचन-पत्र

मै श्री.....पुत्र श्री.....पता.....
पिन कोड.....दूरभाष/मोबाइल नं.....वचन देता हूँ कि मेरे द्वारा
प्रस्तावित निविदा फीस पास होने पर आपके द्वारा दी गई शर्तें अनुसार सामग्री प्रदाय न करने पर जमा
धरोहर राशि रूपये नियमानुसार जब्त किये जाने पर मुझे कोई आपत्ति नही होगी।

गवाह के हस्ताक्षर

.....
नाम व पूरा पता
.....
.....

हस्ताक्षर निविदाकर्ता

.....
नाम व पूरा पता.....
.....
.....

निविदा की शर्तें एवं नियम

1. निविदा निम्नानुसार भरकर प्रस्तुत करें:-

- तकनीकी, एवं अन्य आवश्यक जानकारी:-

कृपया तकनीकी एवं समस्त आवश्यक दस्तावेज पत्रक-1 में अंकित करते हुए तथा दस्तावेज संलग्न करते हुए, एक पृथक सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत कर, लिफाफे के ऊपर 'तकनीकी प्रस्ताव' अंकित करें।

- वित्तीय जानकारी:-

कृपया केवल दरें पत्रक-2 में अंकित करते हुए, एक पृथक सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत कर, लिफाफे के ऊपर 'वित्तीय प्रस्ताव' अंकित करें।

इसके पश्चात् उक्त दोनो पृथक-पृथक लिफाफों (तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्ताव) को एक अन्य बड़े सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत कर लिफाफे के ऊपर "निविदा क्र., कार्य का नाम, एवं फर्म का नाम एवं पूर्ण पता दूरभाष सहित" अंकित करते हुए, प्रस्ताव इस कार्यालय के "परियोजना संचालक, मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति, द्वितीय तल, तिलहन संघ भवन, 1 अरेरा हिल्स, भोपाल' (म.प्र.) 462011" के पते पर दिनांक 22.08.2017 को दोपहर 3 बजे तक कार्यालय में भेजे।

2. प्राप्त सील बंद प्रस्ताव को अंतिम तिथि 22.08.2017 को ही दोपहर 3:30 बजे समस्त उपस्थितों के समक्ष खोला जावेगा। (सर्वप्रथम तकनीकी प्रस्ताव खोले जावेगे, तकनीकी रूप से योग्य पाए गए निविदाकर्ताओं के ही वित्तीय प्रस्ताव खोले जावेगे)
3. निविदा फार्म आवेदन शुल्क (रूपये पचास मात्र) नगद अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक जो कि परियोजना संचालक, म.प्र. राज्य एड्स नियंत्रण समिति भोपाल के पक्ष में देय हो, के रूप में कार्यालयीन समय प्रातः 10:30 बजे से सायं 5:30 बजे के बीच जमाकर, कार्यालय, म.प्र. राज्य एड्स नियंत्रण समिति भोपाल, द्वितीय तल, तिलहन संघ भवन, 1 अरेरा हिल्स भोपाल से प्राप्त किये जा सकेंगे।
4. यदि निविदाकर्ता इस समिति की वेबसाईट से निविदा प्रपत्र डाउनलोड कर उसका उपयोग करता है तो उसे निविदा प्रपत्र के मूल्य हेतु राशि रूपये 50/- (राशि रूपये पचास मात्र) का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक जो कि, जो कि परियोजना संचालक, म.प्र. राज्य एड्स नियंत्रण समिति, भोपाल के नाम से जारी होगा, संलग्न करना होगा। शासकीय संस्थाओं/विभागों/उपक्रम/निकाय के लिए यह शर्त लागू नहीं होगी।
5. इस कार्य एवं शर्तों के संबंध में अंतिम तिथि के एक दिवस पूर्व तक स्पष्टीकरण/परिवर्तन/संशोधन किया जा सकता है। अतः निविदाकर्ता की जिम्मेदारी है कि वे अंतिम दिवस तक समिति की वेब साईट www.mpsacsb.org अथवा समिति कार्यालय के सूचना पटल पर इस संबंध में जानकारी यदि कोई हो तो, उसके आधार पर ही निविदा में अपनी दरें प्रस्तुत करें।
6. निविदा में दरें देते समय आवश्यक टैक्स का भी पृथक से उल्लेख किया जाए।

7. निविदा में किसी भी प्रकार की शर्तें अथवा काटपीट या ओव्हर राईटिंग नहीं होनी चाहिए। ओव्हर राईटिंग की स्थिति में उस स्थान पर निविदाकर्ता के हस्ताक्षर अवश्य होना चाहिए।
8. परियोजना संचालक, म.प्र. राज्य एड्स नियंत्रण समिति भोपाल के पास किसी भी निविदा को स्वीकार करने अथवा निविदा की प्रक्रिया निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रहेगा।
9. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायलयीन क्षेत्र भोपाल रहेगा।

आवश्यक शर्तः-

1. प्रत्येक निविदाकर्ता को राशि रूपये 6,000/- (रूपये छः हजार मात्र) की धरोहर राशि जमा करना आवश्यक होगी। धरोहर राशि बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के माध्यम से जमा की जा सकेगी, जो कि "परियोजना संचालक, म.प्र. राज्य एड्स नियंत्रण समिति, भोपाल" के नाम से जारी होगा। इसके अभाव में निविदा मान्य नहीं की जावेगी।
2. कम्प्यूटर कन्ज्यूमेबिल्स आदि के संबंध में दर प्रदायकर्ता को निर्माता/निर्माता कंपनी का अधिकृत प्रदायकर्ता होना आवश्यक है इस आशय का वैध प्रमाणपत्र मूलतः अथवा प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3. निविदा के साथ संबंधित फर्म/प्रोपराईटर के पेन नंबर, तथा जीएसटी नंबर संबंधी प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
4. निविदाकर्ता का भोपाल में कार्यालय होना आवश्यक है।
5. निविदाकर्ता को यदि किसी शासकीय कार्यालय/ शासन के उपक्रम द्वारा किसी भी निविदा/कोटेशन में भाग लेने से वंचित किया गया हो तो उसकी पूर्ण जानकारी देवे।
6. यदि फर्म ने पूर्व में समिति में स्टेशनरी प्रदाय की है एवं उसका कार्य संतोषजनक नहीं रहा है तो न्यूनतम दर होने पर भी फर्म को नॉन रिसपांसिव किया जा सकता है।
7. उक्त हेतु आदेश जारी होने के पूर्व यदि कोई निविदाकर्ता अपनी निविदा वापिस लेता है तो उसकी धरोहर राशि इस समिति द्वारा जब्त कर ली जावेगी।
8. यदि निविदाकर्ता नियत समय में सामग्री नियत अनुसार प्रदाय नहीं करता है एवं उसका आदेश कार्यालय द्वारा निरस्त कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।
9. दरों का मूल्यांकन पृथक-पृथक सामग्री अनुसार किया जावेगा।
10. सफल निविदाकर्ता की धरोहर राशि प्रथम आदेश जारी होने के दिनांक से एक वर्ष उपरांत वापिस की जावेगी।

अन्य शर्तः-


1. सफल निविदाकर्ता द्वारा नियत अनुसार कार्य पूर्ण करने पर एवं सामग्री प्रदाय करने पर एवं देयक प्रस्तुत करने पर राशि के भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।

2. यदि सफल निविदाकर्ता द्वारा आदेश में नियत अवधि में नियत अनुसार कार्य पूर्ण न करते हुए उसका नियत स्थान पर प्रदाय नहीं किया जाता है एवं उसके द्वारा विलंब से प्रदाय सामग्री इस कार्यालय द्वारा सामग्री स्वीकार की जाती है तो विलंब की स्थिति में 0.5 प्रतिशत प्रतिसप्ताह के मान से विलंब से प्रदाय की गई सामग्री हेतु उस सामग्री के लिए देय राशि में से काट ली जावेगी।
3. यदि आपके द्वारा आदेश में नियत अवधि में कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तो कार्य हेतु नियत समयावधि के व्यतीत हो जाने के 15 दिवस उपरांत आदेश निरस्त किया जा सकता है। आदेश निरस्त होने के उपरांत कोई भी सामग्री आपसे स्वीकार नहीं की जा सकेगी।
4. आपके द्वारा प्रदाय की जाने वाली सामग्री के नमूने कार्यालय द्वारा किसी भी स्तर पर मंगाए जा सकते हैं। इस संबंध में इस कार्यालय से सूचना देने पर आपको तीन दिवस के भीतर नमूने इस कार्यालय में देना होगा, यदि नियत समय में नमूने नहीं दिए जाते हैं तो यह माना जाकर कि आप उस सामग्री के प्रदाय के इच्छुक नहीं हैं, आपकी धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी। ऐसी स्थिति में अन्य प्रस्तावक के प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है।
5. आपके द्वारा प्रदाय की गई सामग्री निर्माता/कंपनी द्वारा ही मूल रूप से निर्मित होना चाहिए। यदि यह पाया जाता है कि मूल सामग्री प्रदाय नहीं की है तो आपकी जमा राशि तो जब्त कर ली जावेगी तथा आपके द्वारा भेजी गई सामग्री में से उपयोग की जा चुकी सामग्री का कोई भी भुगतान नहीं किया जावेगा। साथ ही आपको इस वर्ष एवं आगामी दो वित्तीय वर्षों तक की इस कार्यालय द्वारा जारी किसी भी निविदा/निविदाओं में भाग लेने से वंचित भी किया जा सकता है।
6. आपके द्वारा प्रदाय सामग्री की जांच इस कार्यालय द्वारा कराई जा सकती है।
7. रिसपॉसिव निविदाकर्ता /दर प्रदायकर्ता का आशय यह है कि दर प्रदायकर्ता द्वारा निविदा में दी गई समस्त शर्तों को पूर्ण करते हुए निविदा/दरें भरी हैं तथा निर्धारित धरोहर राशि, समस्त पूर्ण दस्तावेज/प्रमाण प्रस्तुत किये हैं।
8. निविदाकर्ता के द्वारा दी गई दरों के अतिरिक्त कोई भी राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा।
9. निविदा/दर आमंत्रण पत्र एवं अन्य संलग्न सहपत्रों में अंकित शर्तें आदि की सहमति के रूप में आपको हस्ताक्षर/पदमुद्रण अंकित करना होगा।
10. दर प्रदायकर्ता द्वारा निविदा में चाहे गये स्पेसिफिकेशन के संबंध में यदि कोई गलत जानकारी देकर किसी तथ्य को छुपाते हुए निविदा भरी है, एवं इस प्रकार आदेश प्राप्त कर लिया है। बाद में यह पाया जाता है कि आपने गलत जानकारी कार्यालय में दी थी तो ऐसी स्थिति में प्रदाय आदेश तो निरस्त किया ही जावेगा, साथ ही परियोजना संचालक, मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा दंडात्मक कार्यवाही भी की जावेगी। कृपया निविदा प्रपत्र भरने के पूर्व आप सुनिश्चित हो जाये कि आपके द्वारा दी जा रही समस्त जानकारी सही, पूर्ण एवं स्पष्ट हैं तथा आप निविदा की शर्तों को पूर्ण करते हैं।
11. निविदा को मान्य/अमान्य/निरस्त करने/शर्तों में कभी भी परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार परियोजना संचालक, मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति को होगा, उनके द्वारा इस संबंध में समय-समय पर दिये गये निर्देशों/निर्णयों को आपको मान्य करना होगा।

12. यह दरें प्रथम आदेश जारी दिनांक से आगामी एक वर्ष के लिए मान्य रहेगी, जिसे दोनो पक्षों की सहमति से आगे बढ़ाई जा सकती है।
13. निर्धारित अवधि के दौरान सामग्री की दरों में वृद्धि नहीं की जा सकेगी। म.प्र. राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा क्रय आदेश वर्ष के दौरान पूर्णतः/अंशतः जारी किये जा सकेंगे।
14. सामग्री की संख्या में कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है। दर्शित सामग्री एक वर्ष के लिए कुल क्रय का अनुमान है, जिसे आवश्यकतानुसार आंशिकतः क्रय किया जावेगा।
15. प्रथम क्रय के लिए प्रदाय की अधिकतम अवधि 15 दिवस नियत है, इसके उपरांत आवश्यकतानुसार इस समय से कम अवधि में भी आपको सामग्री का प्रदाय कार्यालय के द्वारा जारी आदेश के तहत करना होगा।
16. यदि आपको प्रदाय आदेश दिया जाता है तो नियत अनुसार सामग्री का प्रदाय आपको आदेशित स्थान पर नियत शर्तों एवं जारी आदेश के अनुसार करना होगा। प्रदाय की जाने वाली सामग्री की पैकिंग इस प्रकार आपके द्वारा की जावेगी कि उसमें किसी भी प्रकार के क्षति/टूट फूट की संभावना न हो। परिवहन में हुई क्षति की पूर्ण जिम्मेदारी आपकी ही होगी। पैकिंग आदि के लिये कोई अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा। प्रदायकर्ता को किसी भी स्थिति में अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा।
17. यदि प्रदायकर्ता द्वारा प्रदाय किये जाने वाली सामग्री किसी निश्चित स्थान पर नियत अनुसार प्रदाय नहीं की गई है अथवा प्रदाय सामग्री ठीक से काम नहीं कर रही है अथवा प्रदाय सामग्री में कोई टूट फूट या इस तरह की अन्य प्रकार से क्षतिग्रस्त हैं तो प्रदायकर्ता को आदेशित समय में उसे बदलना होगा। यदि इस प्रकार नियत समय तक सामग्री नहीं बदली जाती है तो उसे निर्धारित लिक्विडिटी डैमेज लेकर नियत अनुसार आगामी कार्यवाही की जायेगी।
18. सशर्त प्रस्ताव मान्य नहीं होगा। यदि कोई सशर्त प्रस्ताव देता है तो उसे मान्य नहीं किया जावेगा साथ ही उसकी धरोहर राशि भी जब्त कर ली जावेगी।
19. यदि आप इस कार्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों पर कार्य करने के लिए सहमत हो तो कृपया अपना प्रस्ताव नियत समय में देने का कष्ट करें।

संलग्न:- पत्रक-1 एवं 2

(परियोजना संचालक द्वारा अनुमोदित)



उपार्जन अधिकारी

म.प्र. राज्य एड्स नियंत्रण समिति
भोपाल।

निविदाकर्ता/दर प्रदायकर्ता द्वारा निम्न दस्तावेज आवश्यक रूप से संलग्न करने होंगे

क्र.	दस्तावेजों की सूची	विवरण	संलग्न पेज नं.
1.	यदि आपने वेबसाईट के माध्यम से डाउनलोड कर निविदा प्रपत्र का उपयोग किया है तो निविदा प्रपत्र का मूल्य राशि रूपये 50/- के बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक का विवरण	बैंक का नाम..... ड्राफ्ट क्र..... दिनांक..... राशि रूपये.....	
2.	धरोहर राशि (ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक)	बैंक का नाम..... ड्राफ्ट क्र..... दिनांक..... राशि रूपये.....	
3	कम्प्यूटर कन्ज्यूमेबिल्स आदि के संबंध में दर प्रदायकर्ता को निर्माता/निर्माता कंपनी का अधिकृत प्रदायकर्ता होना आवश्यक है इस आशय का वैध प्रमाणपत्र मूलतः अथवा प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।		
4	निविदा के साथ संबंधित फर्म/प्रोपराईटर के पेन नंबर, तथा जीएसटी नंबर संबंधी प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।	पेन नं..... जीएसटी नं.....	
5	संबंधित का भोपाल में कार्यालय होना आवश्यक है, प्रमाण संलग्न करें।		
6	यदि किसी शासकीय कार्यालय/ शासन के उपक्रम द्वारा आपको निविदा/कोटेशन में भाग लेने से वंचित किया गया हो तो उसकी पूर्ण जानकारी देवे।		
7	कार्यालय द्वारा जारी संपूर्ण निविदाप्रपत्र एवं सहपत्रों के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदाकर्ता के सहमति के रूप में हस्ताक्षर होना अनिवार्य है		

फर्म का नाम.....

फर्म के स्वामी/अधिकृत के हस्ताक्षर.....

नाम.....

दिनांक.....

पता.....

दर पत्रक
(कार्यालयीन कम्प्यूटर कंज्यूमेबिल्स हेतु)

क्र.	सामग्री का नाम	स्पेसिफिकेशन	कुल अनुमानित क्रय संख्या	इकाई	इकाई दर (रु.में)	जीएसटी का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1	Cartridge-HP	(Laser) HP LJ 1020 12A	60	Per Piece		
2	Cartridge-HP	(Laser) HP LJ P1005 35 A	10	Per Piece		
3	Cartridge- HP	(Laser) HP LJ P1007 88A	14	Per Piece		
4	Cartridge- Samsung	Samsung Printer 1640	7	Per Piece		

मेरे द्वारा आपके कार्यालय के पत्र क्र. एफ 27-1206/उपार्जन/एड्स/2017/2048 दिनांक 01-08-17 में उल्लेखित नियम एवं शर्तें ध्यानपूर्वक पढ एवं समझ ली गई है, मैं उक्त दरों पर इन नियम एवं शर्तों पर सामग्री प्रदाय करने के लिए सहमत हूं।

फर्म का नाम.....

फर्म के स्वामी/अधिकृत के हस्ताक्षर.....

नाम.....

दिनांक.....

पता.....

.....

.....

फोन नं./मो.नं.....